राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत आवेदन-पत्र संख्या 10118/2017

Smt. Santa Devi W/o Sh. Rameshwar B/c Meena, R/o Milakpur, Police Station Ucchain, District Bharatpur. (At Present Confined in Sub Jail, Bayana, District Bharatpur).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan Through P.P.

----Respondent

31.07.2017

<u>माननीय न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा</u>

श्री बी एम शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीया।

श्री सुदेश सैनी, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थीया की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रार्थीया को पुलिस थाना-उच्चेन पर पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या 155/2016 अन्तर्गत धारा 498-ए, 406, 304-बी भारतीय दण्ड संहिता में नियमित जमानत दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मृतका का विवाह उसके ताऊ ब्रहम सिंह ने कराया था और घटना के तुरन्त बाद ब्रहम सिंह ने थानाधिकारी उच्चेन के समक्ष दिनांक 28.06.2016 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि दिनांक 27.06.2016 को समय शाम 8 बजे श्रीमती सविता ने कमरे में साडी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली, हमने कुंदी तोडकर उसको बाहर निकाला तो मौत हो गई थी, मेडिकल रिपोर्ट तक कोई शक नहीं है। उनका कथन है कि मृतका का पंचायतनामा धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता में बनाया गया था, जिसमें सविता की मौत स्वयं फांसी लगाना बताया है। उनका कथन है कि अजय मीणा व अन्य साक्षियों के कथन में आया है कि बहनोई राकेश बहिन सविता की मर्जी के विरूद्व उसके बडे बेटे हर्षित को अपने छोटे भाई जितेन्द्र, जो कि चैन्नई में नेवी में कार्यरत है, के पास पढने के लिए भेज दिया, जिससे मृतका नाराज थी और इस बात को लेकर मृतका ने आत्महत्या कर ली। घटना दिनांक 27.06.2016 की है एवं उसके बाद दिनांक 16.07.2016 को न्यायालय में परिवाद पेश कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने निवेदन किया कि भावुकतावश जाने अनजाने में मृतका के पीहर पक्ष के एवं नजदीकी रिश्तेदार बढा चढाकर आरोप लगाते है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने शरद बिरधीचन्द शारदा बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र (1984) 4 एससीसी पेज- 116 में इस संबंध

में टिप्पणी की है। विचारण में समय लगने की संभावना है, अत: प्रार्थीया का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

दोनों पक्षों द्वारा रखे गये कथनों पर विचार करने व उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन व परिशीलन करने के बाद एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने शक जाहिर नहीं किया है तथा बाद में परिवाद घटना के 20 दिन बाद पेश किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने शरद बिरधीचन्द शारदा बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र (1984) 4 एससीसी पेज- 116 में इस प्रकार के मामले में निम्न टिप्पणी की है-

> **"All persons to whom the oral statements are said to have been made by Manju when she visited Beed for the last time, are c lose relatives and friends of the deceased. In view of the close relationship and affection any person in the position of the witnes s would naturally have a tendency to exaggerate or add facts w hich may not have been stated to them at all. Not that this is done consciously but even unconsciously the love and affection for the deceased would create a psychological hatred against the s upposed murderer and, therefore, the Court has to examine such evidence with very great care and caution. Even if the witnesses were speaking a part of the truth or perhaps the whole of it, they would be guided by a spirit of revenge or nemesis against the accused person and in this process certain facts which may not or could not have been stated may be i magined to have been stated unconscioulsy by the witnesses in order to see that the offender is punished. This is human ps ychology and no one can help it."**

प्रार्थी दिनांक 08.05.2017 से अभिरक्षा में है। आरोप पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थीया महिला है एवं कोई विशिष्ट आरोप नहीं है,अत: प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थीया का यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया श्रीमती संता देवी विचारण न्यायालय के संतोषानुसार रूपये 100,000/-(अक्षरे रूपये एक लाख मात्र) का

व्यक्तिगत बंधपत्र व रूपये 50,000-50,000/- की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जावेगी तो प्रार्थीया को पुलिस थाना-उच्चेन पर पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या 155/2016 अन्तर्गत धारा 498-ए, 406, 304-बी भारतीय दण्ड संहिता में,यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

बीएल जैन **33**